संख्या 5284 : 38–3–300(52)/87

प्रेषक,

सत्य प्रकाश
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 : लखनऊ दिनांक : 30 जनवरी, 1988

विषय : ।विकास खण्डों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2461–63/2–एसी/विभाग/भवन, दिनांक 30 जुलाई, 1987 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेंटेज चार्ज केवल निक्षेप कार्य के रूपमें कार्य कराये जाने पर ही देय होता है। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–6 के प्रस्तर 619 के अन्तर्गत् शासकीय कार्य निक्षेप के रूप में सा0नि0वि0 द्वारा कराये जाने का नियमानुसार कोई प्राविधान नहीं है। विकास खण्ड भवनों का निर्माण कार्य एक शासकीय कार्य है और शासकीय कार्य के रू॰ में कार्य कराने पर सा0नि0वि0 को सेन्टेज चार्ज देय नहीं है।

2– ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश तथा जिला परिषदों को भी कोई सेन्टेज चार्ज नहीं दिया जाना है।

भवदीय,
सत्य प्रकाश
संयुक्त सचिव

संख्या-ए-2-87/दस-97-17(4)/75.

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण)
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

(1) प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण/सिंचाई विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

(2) निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,
उ0प्र0, लखनऊ ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 फरवरी, 1997.

विषय:- प्रतिशत प्रभार की दर ।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहनें का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-3220/दस-17(4)/75, दिनांक-1 अक्टूबर-1975 एवं शासनादेश संख्या-ए-2-2201/दस-17(4)/75, दिनांक-13 जुलाई, 1876 के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों और वाणिज्यिक विभागों के कार्य के लिए, कार्य की लागत का 15 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज चार्जेज) निर्धारित हैं। सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों से भी उनके द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे राजकीय कार्यों पर प्रतिशत प्रभार कार्य की कुल लागत में 5 प्रतिशत कमी करनें के बाद उपलब्ध लागत का 15 प्रतिशत अनुमन्य किया जाता है । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभाग से सम्बंधित डिपाजिट के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर प्रतिशत प्रभार नहीं लिया जाता है ।

2- शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि प्रतिशत प्रभार अब कार्य की लागत का 12.5 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाय एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे समस्त राजकीय कार्यों पर इसी दर से प्रतिशत प्रभार वसूल किया जाय । इस प्रतिशत प्रभार में 1 प्रतिशत आडिट एवं एकाउन्टेंस शुल्क सम्मिलित हैं, तथा इसका विभाजन आवश्यकतानुसार निम्नलिखित रूप से होगा:-

पूर्ण परियोजनाओं एवं ब्यौरेवार अनुमान (प्रारम्भिक अनुमानों के व्यय सहित) अधिष्ठान की मद में डाला जाएगा ।	1.5 प्रतिशत
कार्यों का निष्पादन लेखा परीक्षा सहित।	11 प्रतिशत
(इन कार्यों में केवल प्रारम्भिक परियोजनाओं और अनुमानित प्राक्कलन बनाये जाएंगे (अधिष्ठान की मद में डाला जाएगा)	1.0 प्रतिशत

3- सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों एवं अन्य निर्माण इकाइयों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट कार्य डिपाजिट के रूप में किये जाने पर सेन्टेज उन्हें पूर्व की भांति कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा ।

---क्रमशः---दो---पर-

4- ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें। ऐसे आगणन जिनकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, पुनरोदघाटित (Reopen) नहीं होगें। परन्तु यदि पुनरीक्षित आगणन जिसमें लागत में वृद्धि हो रही है, पुन: स्वीकृति हेतु शासन/सक्षम अधिकारी को शासनादेश के निर्गमन की तिथि के बाद प्राप्त होते हैं तो उन पर बढ़ी लागत की धनराशि पर प्रतिशत प्रभार इस शासनादेश में लिखित दर पर अनुमन्य होगा। वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेगें।

5- कृपया इस सम्बंध में समुचित निर्देश अपने अधीनस्थ [illegible] सम्बंधित अधिकारियों को अविलम्ब प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
शेखर अग्रवाल,
सचिव,
वित्त व्यय नियंत्रण।

पृ0सं0-ए-2-87(1)/दस-97 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- [illegible] खण्ड विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- [illegible] लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 लखनऊ।
7- [illegible], उ0प्र0 लखनऊ।
8- [illegible] मुद्रणालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह0/-
शिवानन्द गिरि,
संयुक्त सचिव।

कार्यालय निदेशक [illegible] अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- 137 [illegible] /सेन्टेज चार्जेज/97-98 दिनांक: अप्रैल 21, 97.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वह शासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(1) [illegible] ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फैजाबाद/मुरादाबाद।
(2) [illegible] ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
(3) [illegible] ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ [illegible] आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को [illegible] से अवगत कराते रहें।
(4) [illegible] मानीटरिंग अनुभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मुख्यालय।

21.4.97

(वी0एन0राठौर)
वित्त नियंत्रक,
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0
लखनऊ।

राठा/-

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2

संख्या-ए-1228/दस-97-24 (5)/97

लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर, 1997

कार्यालय-ज्ञाप

लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, भूगर्भ जल विभाग एवं वन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत जलागम प्रबन्ध निदेशालय में शासनादेश संख्या-ए-2-47/दस-97-10 (9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 शासनादेश सं०-ए-2-856/दस/97-10 (9)/95, दिनांक 22 अप्रैल, 1997 द्वारा दिनांक 1.4.97 से सी० सी० एल/डी० सी० एल० की संशोधित व्यवस्था लागू की गयी है। शासनादेश संख्या-ए-2-47/दस-27-10 (9)/95 दिनांक 3 मार्च 1997 के प्रस्तर 13 में यह व्यवस्था है कि अन्य राजकीय विभागों के निर्माण कार्यों के लिये सम्बन्धित विभागों के अनुदानों में की गयी बजट व्यवस्था से कराये जाने वाले कार्य "डिपोजिट कार्य" के रूप में किये जायेंगे। सम्बन्धित विभाग द्वारा प्राविधानित धनराशि को बिल के माध्यम से आहरित कर कार्य करने वाले सम्बन्धित विभाग को 8782-नगद प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तक हस्तान्तरण के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार में जमा किया जायगा और सम्बन्धित कार्य करने वाले इकाई खण्ड को चालान की फोटो प्रति के साथ सूचित किया जाएगा। इस धनराशि की डी.सी.एल. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेन्टेज चार्जेज, यदि कोई को घटाकर जारी की जाएगी। सम्बन्धित निगार्ण एजेन्सी द्वारा सेन्टेज चार्जेज की धनराशि का समायोजन ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा सम्बन्धित विभाग के लेखा प्राप्ति शीर्षक में क्रेडिट किया जाएगा तथा डिपाजिट कार्य शीर्षक को डेबिट किया जायेगा। सेन्टेज चार्जेज की धनराशि के समायोजन की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 3 मार्च, 1997 के द्वारा निर्धारित डी. सी. एल. के मॉग पत्र प्रपत्र में भी है।

2. सेन्टेज चार्जेज की दर शासनादेश संख्या-ए-2-87/दस-97-17 (4) /75, दिनांक 27 फरवरी 1997 द्वारा कार्य की लागत का 12.5 प्रतिशत निर्धारित है।

3. शासन स्तर पर गठित "स्थायी समिति" की दिनांक 28.8.97 की बैठक में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में डिपाजिट कार्यों का लगभग रुपये 200.00 करोड़ जमा धनराशि से अधिक व्यय किया गया है। ऐसी स्थिति अन्य विभागों में भी हो सकती है। अतः शासन ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि :-

(1) शासनादेश दिनांक 3 मार्च, 1997 के प्रस्तर 13 में डिपाजिट कार्य डी.सी.एल. की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) सम्बन्धित विभाग तथा खण्ड अधिष्ठान व्यय से सम्बन्धित किसी भी मानक पद पर 12.5: सेन्टेज चार्जेज का धनराशि से कोई भी व्यय न करें।

(3) डिपाजिट कार्य से सम्बन्धित सेन्टेज चार्जेज का धनराशि कोषागार में अनिवार्यतः उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा कराया जाय तथा इस धनराशि की डी० सी० एल० जारी न की जाय।

(4) दिनांक 1.4.98 को डिपाजिट कार्य का अवशेष धनराशि, जिसके विरूद्ध डी० सी० एल० जारी नहीं किये गये हैं का खण्ड/प्रभाग वार वितरण सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/वन संरक्षक द्वारा सेन्टेज चार्जेज की धनराशि घटाकर सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा सेन्टेज की धनराशि आगणित कर यदि पूर्व में उसी वित्तीय वर्ष में कोई समायोजन किया गया हो तो उसके विवरण के साथ, देय सेन्टेज की धनराशि का चेक चालान की 3 प्रतिपों के साथ सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्ष अंकित कर सम्बन्धित कोषाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, कोषाधिकारी धनराशि पुस्तक समायोजन के प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा करेंगे। डिपाजिट कार्य की उपरोक्तानुसार परिगणित अवशेषण धनराशि को ही प्रारम्भिक अवशेष (ओपनिंग बैलेंस) मानेंगे।

शासनादेश - दिनांक 3 मार्च 1997 के प्रस्तर-7 की व्यवस्था के अनुसार सी. सी. एल. एवं डी. सी. एल. के चेकों का ही समादर (ऑनर) किया जाये। ऐसे चेक, को उक्त सीमा से आच्छादित न हो, उनका समादर न किया जाय।

कृपया अपने स्तर से ऐसे निर्देश राजकीय लेन-देन करने वाला बैंक की शाखाओं को कोषाधिकारी अपने स्तर से निर्गत करेंगे। कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जाए।

ह०

सुशील चन्द्र त्रिपाठी

प्रमुख सचिव।

संख्या-ए-2-225/दस-98-17141/75

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण/सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 19 अगस्त, 1998

विषय:- प्रतिशत प्रभार की दर ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या-ए-2-87/दस-97-17141/75, दिनांक 27 फरवरी, 1997 के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों और वाणिज्यिक विभागों के कार्य के लिये कार्य की लागत का 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज चार्जेज) निर्धारित है एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे समस्त राजकीय कार्यों पर इसी दर से प्रतिशत प्रभार वसूल किये जाने के निर्देश हैं। शासनादेश संख्या-ई-8-1035/दस-1997-648/1994, दिनांक 25 जून, 1997 सपठित शासनादेश संख्या-ई-8-215/दस-1998-648/1994, दिनांक 9 मार्च, 1998 के अन्तर्गत शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन की व्यवस्था का उल्लेख है। शासनादेश संख्या-ए-2-1228/दस-97-24156/74, दिनांक 22 दिसम्बर, 1997 के अन्तर्गत डिपाजिट कार्यों से सम्बन्धित प्रतिशत प्रभार की धनराशि कोषागार में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुसंगत प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने और इस धनराशि की डी.डी.एल. जारी न किये जाने के निर्देश हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित ग्रामीण रोजगार योजनाएं जैसे जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कूप योजना तथा सांसद निधि योजना इत्यादि से सम्बन्धित डिपाजिट कार्यों पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्ज नहीं लिये जायेंगे किन्तु यदि डिपाजिट कार्य राज्य के संसाधनों से हैं, तो ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा उक्त दर से सेन्टेज चार्जेज लिये जायेंगे ।

3- कृपया इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को अविलम्ब प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील चन्द्र त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-ए-2-225(1)/दस-98-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई विभाग, उ0प्र0शासन।
(4) सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0शासन।
(5) सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
(6) सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(11) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(12) सचिवालय के सम्बन्धित अनुभाग।

आज्ञा से,

(एस0पी0 वर्मा)
अनु सचिव।

निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ

पत्रांक-टी-186/ग्रा0अ0से0/एम-व्यय अनु0/98-99, दिनांक लखनऊ 15 सितम्बर, 1998

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

1- [illegible] अभियन्ता (स्तर-1)/[illegible] ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश।
4- अधीक्षण अभियन्ता, (मा0)/अधिशासी अभियन्ता [illegible] निरीक्षण-निर्माण, निदेशालय, लखनऊ।

15/9/98
(एस0पी0 सिंह)
वित्त नियंत्रक।

14/9/98

संख्या-ए-2-1118/दस-99-17848/75

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण/सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 1999

विषय:- प्रतिशत प्रभार की दर ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या-ए-2-87/दस-97-17848/75, दिनांक 27 फरवरी, 1997 तथा शासनादेश संख्या-ए-2-225/दस-98-17848/75, दिनांक 19 अगस्त, 1998 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वान्चल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं विधायक निधि पोषित योजना इत्यादि से सम्बन्धित डिपाजिट कार्य पर लोक निर्माण, सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभागों द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्जेज नहीं लिये जायेंगे किन्तु इन निधियों से पोषित योजना से सम्बन्धित डिपाजिट कार्य पर सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों एवं अन्य निर्माण इकाइयों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उक्त 12.5 प्रति की दर से सेन्टेज चार्जेज वसूल किये जायेंगे ।

2- ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे ।

3- कृपया इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश अपने अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब प्रसारित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव ।

पृ0संख्या-ए-2-1118/दस-99-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

.....

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(3) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(4) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन ।
(5) सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0शासन ।
(6) सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन ।
(7) सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग, उ0प्र0शासन ।
(8) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0,स
(9) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(10) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(11) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(12) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(13) सचिवालय के सम्बन्धित अनुभाग ।

आज्ञा से,

(ए0 पी0 वर्मा)
अनु सचिव ।